

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 217 / 2018

RCMS Case No. 2018 / 00282

| प्रार्थी :- | बनाम | अप्रार्थी:- |
|-----------------------------------|------|---|
| सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर | | 1. सायरी पत्नी गणेश 2. रूपा पुत्र गणेश 3. ढगलू पुत्र गणेश जातिगण कीर निवासीगण रायपुर |

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी उपस्थित।

--: आदेश :-

दिनांक - 07.06.2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रायपुर I तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 1287/77 रकबा 06.10 बीघा किस्म बा0अ0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी के पति/पिता गणेश पुत्र मोडू को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 673 के राजस्व रेकॉर्ड में आवंटी को बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः ग्राम रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 673 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा अप्रार्थी के हक में सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर एवं विधि अनुरूप आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित आराजी पर अप्रार्थी ने लाखों रुपये लगाकर कृषि योग्य बनाया है तथा उस पर कृषि कार्य के उपयोग में ले रहा है। तहसीलदार रायपुर ने द्वारा आवेदन में तथ्यों को छुपाकर एक प्रिन्टेड प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों को भर कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जैर आराजी भूमि माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों के तहत आने वाली भूमि में से भिन्न है तथा इससे संबंधित नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं इनके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेजात् के अभाव में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।


बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम रायपुर I तहसील रायपुर के हाल खसरा नम्बर 1287/77 रकबा 06.10 बीघा किस्म बा0अ0 की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी के रूप में

अति. जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 1287 गै0मु0 नदी है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 673 के जरिये आवंटी का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 1287 की किस्म गै0मु0 नदी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी/नाला/वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आवंटन नियमों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. नदी दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किए आवंटन एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम रायपुर । तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 673 को निरस्त करावे।




(भागीरथ बिश्नोई), पाली
अति.जिला कलेक्टर,पाली